5.6.2 खरीददार की चूक की स्थिति तथा उसके परिणामः

(क) यदि खरीददार अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंदर मासिक और/अथवा पूर्ण बिलों का भुगतान करने या पीपीए का निस्तारण करने में विफलता की वजहों से चूककर्त्ता है, तो चूककर्ता खरीददार को, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की पूर्व सहमति के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी सहयोगी कंपनियों सहित किसी तीसरे पक्षकार के लिए अपने हिस्से का नया अनुबंध बनाना पड़ेगा।

(ख) यदि उक्त नई पद्धति नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को स्वीकार्य नहीं है, अथवा चूककर्ता खरीददार द्वारा निर्धारित अवधि में नई पद्धति का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो नवीकरणीय विद्युत उत्पादक पीपीए को निरस्त कर सकता है और अपने विवेकाधिकार से, चूककर्ता खरीददार से या तो (i) देय ऋण और 110 प्रतिशत (एक सौ दस प्रतिशत) समायोजित इक्विटी, जैसा कि नीचे वर्णित है, उसमें बीमा कवर, यदि कोई हो, को कम करके, राशि के समकक्ष निरस्तीकरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करके परियोजना की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करवा सकता है अथवा, (ii) नवीकरणीय विद्युत उत्पादक, छह महीने अथवा पीपीए की बकाया अवधि के लिए, इनमें जो भी कम हो, की समकक्ष राशि का भुगतान अनुबंधात्मक क्षमता में करवा सकता है, ऐसे में परियोजना की परिसम्पत्तियां नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के पास रहेंगी।

(ग) पीपीए के निरस्त होने की स्थिति में, संयंत्र की कनेक्टिविटी के लिए, एसटीयू/सीटीयू को देय किसी भी प्रकार की क्षति या प्रभारों का वहन खरीददार द्वारा किया जाएगा।

(घ) समायोजित इक्विटी से तात्पर्य भारतीय रुपये में वित्त पोषित इक्विटी और चालू माह के पहले दिन ("संदर्भ तिथि"), नीचे दिए गए तरीके से समायोजित इक्विटी से है जो मूल्यह्रास और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) भिन्नताओं के कारण इसके मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए और नियत तिथि के महीने के पहले दिन (वित्तीय समापन प्राप्त करने की तारीख) और संदर्भ तिथि के बीच होने वाली किसी भी संदर्भ तिथि के लिए है;

(i) वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) को या उससे पहले, समायोजित इक्विटी भारतीय रुपये में वित्त पोषित और परियोजना पर खर्च की गई इक्विटी के योग के बराबर की राशि होगी, नियत तिथि के महीने के पहले दिन और संदर्भित तिथि के बीच होने वाली डबल्यूपीआई की भिन्नता के आधे हिस्से तक संशोधित होगी;

(ii) सीओडी को, समायोजित इक्विटी के बराबर राशि को आधार माना जाएगा ("आधार समायोजित इक्विटी")।

(iii) सीओडी के बाद, समायोजित इक्विटी जो यहां आधार समायोजित इक्विटी राशि के बराबर राशि होगी, जो प्रत्येक महीने के शुरू में 0.333% (शून्य दशमलव तीन तीन तीन प्रतिशत) से कम होगी [प्रत्येक वर्ष की प्रति तिमाही 1% (एक प्रतिशत) की कमी] और यह राशि, सीओडी और संदर्भ तिथि के बीच होने वाले डबल्यूपीआई में भिन्नता की सीमा तक संशोधित की जाएगी;

संदेह से बचने के लिए, समाप्ति की स्थिति में, समायोजित इक्विटी की गणना, अंतरण तिथि से तुरंत पहले की संदर्भ तिथि के अनुसार की जाएगी; बशर्ते कि समायोजित इक्विटी में कोई कमी, उस अवधि के बराबर अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए पीपीए अवधि बढ़ाई गई है, के लिए नहीं की जाएगी, लेकिन डबल्यूपीआई के कारण संशोधन करना जारी रहेगा।

(ङ) ऋण देयता का अर्थ है अंतरण तिथि पर भारतीय रुपए में बकाया निम्नलिखित रकम का कुल योग:

(i) कुल परियोजना लागत ('मूलधन') के वित्तपोषण के लिए वित्त पोषण करारों के तहत वरिष्ठ ऋण दाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि, लेकिन अंतरण तिथि से पूर्व 2 (दो) वर्षों तक चुकाए जाने वाले मूलधन के किसी भी भाग को छोड़कर;

(ii) अंतरण तिथि तक उपर्युक्त उप-खंड 5.6.2(ङ)(i) में निर्दिष्ट ऋण के या उससे संबंधित वित्त पोषण करारों के तहत देय सभी उपार्जित ब्याज, वित्त पोषण शुल्क और प्रभार, परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः (i) अंतरण तिथि से एक वर्ष पूर्व देय कोई ब्याज, शुल्क या प्रभार, (ii) किसी भी वरिष्ठ ऋणदाता को

वित्तपोषण करारों के तहत देय जुर्माना ब्याज या प्रभार (iii) यूटिलिटी चूक के कारण उत्पन्न प्रभारों के मामले में किसी भी प्रकार के पूर्व-भुगतान प्रभार जो ऋण के त्वरित भुगतान की अदायगी के संबंध में हो, तथा (iv) किसी प्रकार का अनुषंगी ऋण, जो वित्तीय पैकेज में शामिल है और जिसे ऋण दाताओं द्वारा कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए वितरित किया गया है।

परंतु यदि ऋण देयता का पूरा या आंशिक भाग जो वरिष्ठ ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय है, तो यह इस करार के प्रयोजनों के लिए ऋण देयता नहीं समझा जाएगा, चाहे ऐसा कोई परिवर्तन न हुआ हो और तत्संबंधी मूलधन का ऐसे निपटान किया जाएगा जैसे ऐसा कोई परिवर्तन किया गया हो।

परंतु यह और कि सीओडी पर या उसके बाद की ऋण देयता, कुल परियोजना लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।"

5.7 कानून में परिवर्तन

कानून में परिवर्तन के प्रावधान विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 को अधिसूचित विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागत की समय-समय पर वसूली) नियमावली, 2021, समय-समय पर संशोधित, के अंतर्गत होंगे।

6. बोली प्रक्रिया

6.1 खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि एकल चरण बोली प्रक्रिया अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करेगा। खरीददार चाहें तो ई-रिवर्स नीलामी अपना सकते हैं। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-खरीद प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सोलर पार्क विशिष्ट परियोजना के मामले में, बोली प्रक्रिया शुरू होने की सूचना खरीददार द्वारा एसपीपीडी को दी जाएगी। एसपीपीडी को सभी आवश्यक भूमि और अवसंरचना से संबंधित ब्यौरे प्रदान करके बोली प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होना है और इसे बोली लगाने वालों के लिए केंद्रीकृत डाटा रूम में उपलब्ध कराना है।

6.2 खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। खरीददार का सहयोगी भी बोली प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे मामलों में खरीददार बोलियां आमंत्रित नहीं करेगा।

6.3 आरएफएस तथा प्रारूप पीपीए सहित बोली दस्तावेज खरीददार द्वारा इन दिशा-निर्देशों तथा एसबीडी के अनुरूप तैयार किया जाएगा। यदि परियोजना को सोलर पार्क में स्थापित करने की आवश्यकता है, तो खरीददार कार्यान्वयन सहायता करार और भूमि संबंधी करारों के प्रारूपों तक बोलीदाताओं के अभिगम की व्यवस्था भी करेगा।

6.4 खरीददार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।

6.5 खरीददार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व सम्मेलन का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलादाता के लिए निविदा दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पक्षकार पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगे। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन करने या सुधार किए जाने पर बोलीदाताओं को बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए तब से कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा।

7. आरएफएस दस्तावेज

आरएफएस दस्तावेज में खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

7.1 बोली अनुक्रियता

बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह पूर्ण रूप में अनुकूल हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे-

- बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।
- बोलीदाता या उसके किसी सहयोगी के खिलाफ ऐसी कोई बड़ी मुकदमेबाजी लंबित न हो या उसकी आशंका न हो, जिससे परियोजना आरंभ करने के लिए बोलीदाता की योग्यता या उपयुक्तता पर संदेह होता हो।

7.2 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक योग्यता

7.2.1 तकनीकी मानदंडः

सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खरीददार बोलीदाताओं के पिछले अनुभव आदि जैसे तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे मानदंड उन परियोजना उत्पादकों, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद तय किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।

7.2.2 वित्तीय मानदंड

(क) निवल-मूल्य

(i) खरीददार योग्यता संबंधी अपेक्षा के हिस्से के रूप में निवल मूल्य के रूप में वित्तीय मानदंड निर्दिष्ट करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा विद्यत परियोजनाओं के लिए बोली आमंत्रित किए जाने के वर्ष में निवल मूल्य सीईआरसी बेंचमार्क पूंजी लागत अथवा अनुमानित परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत होना चाहिए।

(ii) उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचारित निवल मूल्य बोलीदाता कंपनी या कंसोर्टियम की संचयी निवल मूल्य होगा, जिसमें बोलीदाता(ओं) के संबद्ध पक्षों की निवल मूल्य शामिल माना जाएगा, जो अपेक्षित इक्विटी फंडिंग में अंशदान करने के प्रति वचनबद्ध हों और बोलीदाता(ओं) के विफल रहने की स्थिति में आरएफएस के अनुसार बैंक गारंटी दे सकते हों।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचारित निवल मूल्य कंपनी अधिनियम के अनुसार परिगणित समग्र निवल मूल्य होगा।

(ख) लिक्विडिटी

यह अनिवार्य है कि बोलीदाता के पास पर्याप्त नकदी प्रवाह/आंतरिक संभूतियां/कोई बैंक गारंटी होनी चाहिए, ताकि वह परियोजना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था कर सके। तदनुरूप, खरीददार उपयुक्त मानदंड का वर्णन कर सकता है, जैसे वार्षिक कारोबार, आंतरिक संसाधन सृजन, बैंक जमा राशियां/ऋण व्यवस्था, बोली क्षमता, आदि।

7.3 जमा की जाने वाली अग्रिम राशि (ईएमडी)

बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी/भुगतान के लिए वचन पत्र/भुगतान आदेश दस्तावेज के रूप में अग्रिम राशि (ईएमडी) की निर्धारित मात्रा जमा करानी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान पीपीए पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में अग्रिम राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

7.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानून का अनुपालन

यदि किसी विदेशी कम्पनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो उसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कानूनों और प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

8. बोली जमा कराना और उनका मूल्यांकन

8.1 बोलीदाताओं द्वारा कंसोर्टियम के गठन की अनुमति दी जाएगी, जिसके अंतर्गत कंसोर्टियम एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए एक सम्पर्क बिंदु के रूप में काम करेगा। खरीदार कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड और लॉक-इन अवधि निर्दिष्ट कर सकता है।

8.2 खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति (मूल्यांकन समिति) का गठन करेगा, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इनमें से कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/ बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होना चाहिए।

8.3 बोलीदाताओं को आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क और/या परियोजना विकास शुल्क जमा कराना पड़ सकता है।

8.4 बोलीदाताओं को तकनीकी और मूल्य संबंधी अलग अलग बोलियां जमा करानी पड़ सकती है। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में बोली-धरोहर राशि भी जमा करानी पड़ेगी।

8.5 तकनीकी बोली का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि जमा कराई गई बोलियां सभी मूल्यांकन मानदंड के अनुसार आरएफएस दस्तावेज में वर्णित पात्रता मानदंड पूरे करती हैं। मूल्य संबंधी बोलियों का मूल्यांकन केवल उन्हीं बोलियों के संदर्भ में किया जाएगा, जो आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करती होंगी।

8.6 प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्वालिफाइड बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होनी चाहिए। यदि बोली के तीन प्रयासों के बाद भी क्वालिफाइड बोलीदाता दो से कम होंगे, और खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि इससे आगे भी बोली प्रकिया जारी रखने का इच्छुक होगा, तो वह समुचित आयोग की सहमति से ऐसा कर सकता है।

8.7 मूल्य संबंधी बोली को निरस्त किया जाएगा, यदि इसमें निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

8.8. बोली के मूल्यांकन के लिए खरीददार द्वारा अपनाई जाने वाली बोली मूल्यांकन पद्धति:

8.8.1. बोली मूल्यांकन प्रणाली आरएफएस में निर्दिष्ट बोली मानदंड पर आधारित होगी। बोलीदाताओं की रैंकिंग "निम्नतम टैरिफ (एल1)" उद्धृत करने वाले बोलीदाता द्वारा बोली लगाने से शुरू होगी।

8.9. बोली के मूल्यांकन और बोली लगाने वाले के चयन की विस्तृत प्रक्रिया आरएफएस में उपलब्ध कराई जाएगी।

9. बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय सारणी

9.1 बोली प्रक्रिया में, आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारिणी **अनुबंध-I** में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी हो जानी चाहिए।

9.2 खरीददार अनुबंध-I में बताए गए समय से अधिक समय सीमा दे सकता है और इसे दिशा-निर्देशों के विचलन के रूप में नहीं माना जाएगा।

10. अनुबंध प्रदान करना और समाप्त करना

10.1 पीपीए सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के साथ हस्ताक्षरित होगा।

10.2 बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद, आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, विवेचनात्मक रूप से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और यह प्रमाणित करेगी कि उपयुक्त रूप से बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं।

10.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, पीपीए के निष्पादन के बाद सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के ब्यौरे, यदि कोई है, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ को अभिव्यक्त करेगा। यह सार्वजनिक अभिव्यक्ति कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर, की जाएगी।

10.4 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, खरीददार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करेगा।

10.5 सफल बोलीदाताओं को एलओए लाभार्थियों से सहमति प्राप्त करने के बाद अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा, और उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने के बाद खरीददार द्वारा सफल बोलीदाताओं के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

11. गारंटी

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक खरीददार को आरएफएस और पीपीए की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित गारंटी देगा:

11.1 **जमा की गई अग्रिम धनराशि (ईएमडी)** का निर्धारण खरीददार द्वारा किया जाएगा (जो बोली आमंत्रण वाले वित्त वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजना की लागत या अनुमानित परियोजना लागत के 2 (दो) प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। आरएफएस के उत्तर के साथ निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा:

क) बैंक गारंटी(यां)

या

ख) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में "आदेश पर भुगतान दस्तावेज"/वचन पत्र, जो निविदा शर्तों के संदर्भ में, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास ऐजेंसी (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)/आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से भुगतान के लिए होगा।

"आदेश पर भुगतान दस्तावेज" से तात्पर्य निविदा शर्तों/विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में भारतीय अक्षय ऊर्जा ऐजेंसी (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) या आरईसी लि. (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से भुगतान के लिए वचन पत्र से है। ऐसे पत्र(त्रों) का प्रभाव किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। ऐसे "भुगतान के लिए आदेश दस्तावेज" में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई निबंधन और शर्तें होगीं और खरीददार की मांग पर नियत समय से भुगतान करने का वादा होगा। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक उपरोक्त तीनों गैर-बैंकिंग संस्थाओं (इरेडा, पीएफसी और आईसी) को देय प्रतिभूति का प्रस्ताव करके ऐसे पत्र(त्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी के अलावा किसी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था से उपरोक्तानुसार या किसी अन्य रूप में 'वचन पत्र' स्वीकार नहीं करेंगे।

"भुगतान आदेश पत्र" ("पेमेंट ऑन ऑडर इंस्ट्रुमेंट") का तात्पर्य भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) या नवीकरणीयसी लि. (नवीकरणीयसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)/विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान ही होगा। इस तरह के "भुगतान आदेश पत्र" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा रखी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वादा किया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक ऐसे पत्रों की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और नवीकरणीयसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपर्युक्त उल्लिखित या कोई अन्य "लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (वचनबद्धता पत्र)" दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।

11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/निष्पादन गारंटी (पीजी)

11.2.1 निष्पादन गारंटी (पीजी) का निर्धारण खरीददार द्वारा किया जाएगा [लेकिन यह खरीददार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4% (चार प्रतिशत) से अधिक और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए]; जिसे पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

क. बैंक गारंटी(यां)

अथवा

ख. नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में "आदेश पर भुगतान दस्तावेज" / वचन पत्र, जो निविदा शर्तों के संदर्भ में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से भुगतान के लिए होगा।

11.2.2 इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का उल्लेख है, वह बैंक गारंटी या दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए गए तत्संबंधी विकल्पों के रूप में निष्पादन गारंटी (पीजी) मानी जाएंगी।

11.2.3 अन्य उपायों के अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को विद्युत खरीद समझौते में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर इस पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा। परियोजना के चालू हो जाने के 45 दिनों के भीतर उत्पादक को पीबीजी लौटा दी जाएगी। यदि आंशिक रूप से चालू की जाती है, तो चालू की गई आंशिक क्षमता के अनुरूप ऐसे आंशिक रूप से चालू किए जाने के 45 दिनों के भीतर पीबीजी जारी की जाएगी।

11.2.4 यदि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक, विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के सन्दर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति उत्पन्न होने पर बैंक गारंटी के स्थान पर भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) या पावर फाइनेंस लि. (पीएफसी) या आरईसी लि. (आरईसी) से भुगतान के लिए "भुगतान आदेश दस्तावेज"/वचन पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है तो खरीददार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में बैंक गारंटी अवमुक्त कर सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक ऐसे पत्र(त्रों) की मांग उपरोक्त तीनों गैर-बैंकिंग संस्थाओं (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) से उचित जमा राशि की पेशकश करके कर सकते हैं ताकि खरीदकर्ता(ओं) को पहले ही किये गए वादे के अनुसार उनकी बैंक गारंटियों के स्थान पर अन्य गारंटी दी जा सके।"

12. वित्तीय समाप्ति

(क) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पीपीए की शर्तों के अनुसार, सोलर पार्क में लगाये जाने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 9 (नौ) महीनों में और जो परियोजनाएं सोलर पार्क में लगाये जाने के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं, उनके लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, खरीदार ऐसा कर सकता है।

(ख) ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण कर सकता है बशर्ते कि देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार खरीदार द्वारा जमीन के आवंटन में देरी रहा हो या सरकार द्वारा जमीन के आवंटन में देरी रहा हो, न कि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीददार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया गया होगा वह एससीडी की अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।

इन दिशा-निर्देशों में निहित किसी व्यवस्था के बाबजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की देरी, 60 (साठ) दिनों से अधिक की होने पर, वित्तीय समापन में तदनुसार विस्तार दिया जायेगा।

13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रमोटर द्वारा रखा जानाः

13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 1 वर्ष पहले खरीदा गया है खरीददार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे। अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सा पूंजी खरीददार की पूर्वानुमति के बिना सीओडी से 1 (एक) साल पहले किसी भी वक्त 51% से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रमोटर सीओडी से 1 (एक) साल पहले तक खरीददार की अनुमति के बिना बोलीदाता कंपनी/कंपनियों के समूह पर अपना नियंत्रण खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रमोटरों और उनकी हिस्सा पूंजी के बारे में खरीददार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।

13.2 सीओडी से 1 (एक) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सा पूंजी में कोई भी बदलाव खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 अगर नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक ने किसी ऋणदाता(ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि खरीददारों की सहमति से **"प्रमोटर बदल सकें"।**

14. चालू करना

14.1 आंशिक रूप से चालू करना:

खरीददार को परियोजना का आंशिक रूप से चालू होना इस शर्त के साथ स्वीकार्य होगा कि पहली बार और दूसरी बार में चालू होने वाली न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी और इससे पीपीए में चालू नहीं हुए हिस्से किसी तरह के जुर्माना लगाने के प्रावधान पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आंशिक रूप से चालू होने की वजह से एससीडी में फेरबदल नहीं होगा। आंशिक रूप से चालू होने या पूर्ण रूप से चालू होने की तारीखें चाहे जो भी हों, पीपीए एससीडी से 25 (पच्चीस) साल के लिए लागू रहेगा।

14.2 समय पूर्व चालू होनाः

नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को एससीडी से भी पहले परियोजना को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चालू करने की इजाजत होगी। पूर्व आंशिक कमीशनिंग के मामलों में, एससीडी तक खरीददार उत्पादन को एससीडी तक के लिए पीपीए में निर्धारित शुल्क के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) की दर से खरीद सकता है। लेकिन अगर एससीडी से पहले ही परियोजना समूची क्षमता चालू हो जाए तो खरीददार पीपीए में दी गई दरों से खरीद सकता है।

14.3. चालू होने की समय अनुसूची:

(i) सोलर पार्क में लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 (पंद्रह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए और जो परियोजनाएं सोलर पार्क में लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट नहीं है, उन्हें पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18 (अठारह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अवधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है। इन दिशा-निर्देशों के खंड 5.4 के अधीन, चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से चालू होने पर नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पर निम्नलिखित जुर्माना लागू होगा:

(क) चालू होने में एस.सी.डी. से छह महीने तक की देरी होने पर, निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी.) का नकदीकरण, दैनिक आधार पर और चालू नहीं हुई क्षमता के अनुपात में किया जाएगा।

(ख) चालू होने में एस.सी.डी. से छह महीने में ज्यादा की देरी होने पर, इन दिशा-निर्देशों के खंड 5.6 के अनुसार, उत्पादक की चूक माना जाएगा और अनुबंधित क्षमता एस.सी.डी.+ 6 (छः) महीने तक घटी हुई मानी जाएगी। चालू नहीं हुई शेष क्षमता के लिए. पी.पी.ए. को रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) खरीददार द्वारा स्थान निर्धारित किए जाने की स्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को भूमि का हस्तांतरण करने में होने वाली किसी प्रकार की देरी पर, वित्तीय समापन और पूर्वनिधारित निष्पादन तारीख को भी तदनुसार आगे बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि खंड 3.2.1(क) के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम विस्तारित अवधि, बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख बीत जाने के बाद से शुरू हो रही एक वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।

इन दिशानिर्देशों में निहित किसी व्यवस्था के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की देरी 60 (साठ) दिनों में अधिक की होने पर, परियोजना शुरू होने की तिथि में तदनुरूप विस्तार दिया जायेगा।

15. वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी):

वाणिज्यिक संचालन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन परियोजना या उसके आखिरी चरण के पूरी क्षमता से सफलतापूर्वक चालू हो जाने पर उसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

16. ट्रांसमिशन संपर्क

16.1 नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र को अंतर-संपर्क को ध्यान में रखकर इस तरह से डिजायन किया जाएगा कि यह (क) पूलिंग सब स्टेशन से जुड़ जाए जहाँ एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन से पहले अन्य परियोजनाओं का भी संपर्क कायम होता है; या (ख) एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन के साथ समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के जरिए उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर सीधा संपर्क, जैसा कि खरीददार द्वारा निर्दिष्ट है, बोली लगाने संबंधी दस्तावेज में संबद्ध सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी संगठन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, कार्यान्वयन व्यवस्था और निकासी प्रणाली के डिजायन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों और एसटीयू/सीटीयू से पहले के सब-स्टेशनों की पूंजी लागत का भुगतान या तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा सीधे कर दिया जाएगा या एसपीपीडी अथवा किसी दूसरी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसकी वसूली नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक से सीधे तौर पर एकमुश्त या कई वर्षो की किश्तों में की जाएगी।

16.2 जिन मामलों में खरीददार द्वारा परियोजना स्थल विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनमें एसटीयू/सीटीयू के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन प्रणाली के साथ ट्रांसमिशन संपर्क और पहुँच कायम करने की जिम्मेदारी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की होगी और यह कार्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के खर्च पर होगा।

16.3 जिन मामलों में खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल कोई सोलर पार्क नहीं है वहां खरीददार ट्रांसमिशन संपर्क और पहुंच की सुविधा कायम करने की जिम्मेदारी और लागत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा उठायी जाएगी।

16.4 जिन मामलों में खरीददार परियोजना लगाने के लिए किसी सोलर पार्क का उल्लेख करता है सीटीयू/एसटीयू द्वारा परियोजना को शुरू करने में विलंब के लिए किसी कानून या नियम के तहत लगाया जाने वाला जुर्माना, दंड और शुल्क उस सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा देय होगा जहां तक देरी की वजह नवीकरणीय ऊर्जा विद्यत उत्पादक हो और बाकी खरीददार को देना होगा।

16.5 मीटरिंग प्वाइंट वह स्थान है जहां पर खरीददार को सप्लाई की जाने वाली बिजली का मापन किया जाएगा। यह स्थान एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन का लो वोल्टेज बस बार होगा। सोलर पार्क के मामले में मीटरिंग प्वाइंट फाइनल इवेकुएशन वाला एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन होगा जिसके साथ तमाम पूलिंग सब-स्टेशनों का इंटरनल ट्रांसमिशन जुड़ा रहेगा। परियोजना और मीटरिंग प्वाइंट के बीच ह्वीलिंग चार्जेज और नुकसान समेत तमाम खर्च नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक उठाएगा और खरीददार इसके लिए किसी तरह कर प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। ह्वीलिंग चार्जेज और नुकसान समेत मीटरिंग प्वाइंट से आगे के ट्रांसमिशन और विरण जैसे तमाम खर्चों का भुगतान खरीददार करेगा। सीटीयू/एसटीयू द्वारा खर्चों को उनकी क्षमता के अनुपात में या बुनियादी ढ़ांचे का साझा उपयोग